



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2007/वैशाख 4, 1929

No. 461]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2007/VAISAKHA 4, 1929

कम्पनी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2007

New Delhi, the 24th April, 2007

का.आ. 636(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कम्पनी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 9 मार्च, 2007 में का.आ. 339(अ) तारीख 9 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

S.O. 636(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India, in the Ministry of Company Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 9th March, 2007 *vide* number S.O. 339(E) dated 9th March, 2007, namely :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (2) पर, निम्नलिखित शब्द—

In the said notification, at serial number (2), for the words—

“श्री टी. एन. मनोहरन,
अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान”

“Shri T. N. Manoharan,
President of the Institute
of Chartered Accountants of India”

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

the following shall be substituted, namely :—

“श्री सुनील एच. तलाती,
अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान”

“Shri Sunil H. Talati,
President of the Institute
of Chartered Accountants of India”.

[फा. सं. 1/5/2001-सीएल-V]

[F. No. 1/5/2001-CL-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.